क्षेत्रीय कार्यालय

पंजीकृत

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

"पंचदीप भवन":सैक्टर-16, फरीदाबाद

संख्याः 13/11-38594-101/H-1691 /1762 दिनांकः 25/7/08

सेवा में,

M/s Pawan Security Services
Ansal Shughant Corporate Plaza,Sohna Road
Badshahpur,Gurgaon

विषयः- हरियाणा राज्य में स्थित शाखा कार्यालय/विक्रय कार्यालय के कर्मचारियों का पंजीकरण एवं अंशदान का भुगतान ।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि आपके पत्र संख्या :..........दिनांक 02.06.08 अनुसरण में हमारे एरिया बीमा निरीक्षक द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पंर आपके कार्यालय Gurgaon के कर्मचारी दिनांक 01.05.08 से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 यथा संशोधित के अंतर्गत व्याप्ति होते हैं अतः आपसे अनुरोध है कि आप उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधोंच का अनुपालन करें तथा कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने और उनके अंशदान का भुगतान करें ।

2. पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आप दिनांक ------- तक संपर्क करें तत्पश्चात् आपके सभी कर्मचारियों के घोषणा पत्र क०रा०बी०साधारण विनियम, 1950 के विनियम 12 व 14 के अनुसार भेजें ।

3. कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान प्रत्येक कर्मचारी की मजदूरी की 1.75% की दर से देय है जिसे 5 पैसे के अगले अक्षर गुणांक में परिवर्तित किया जाएगा तथापि नियोजक अंशदान की गणना क०रा०बी० अधिनियम के अंतर्गत की जाए । सभी कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक मजदूरी अवधि में की गई कुल मजदूरी की 4.75% की दर पर गणना की जाएगी जिसे 5 पैसे के अगले उच्चतर गुणांक में परिवर्तित किया जाएगा । उपर्युक्त के अनुसार देय अंशदान अगले कलैण्डर मास की 21 तारीख तक (4 प्रतियाँ) में माध्यम से क०रा०बी० निगम निधि लेखा-1 में जमा कराया जाना अपेक्षित है । क०रा०बी० (संशोधन) अधिनियम, 1948 लागू होने के बाद मामले कारखाने/स्थापना के संबंध में यथा अंशदान अवधियाँ निम्नलिखित होंगीः-

01 अप्रैल से 30 सितंबर

01 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च

प्रत्येक अंशदान अवधि की समाप्ति पर अंशदान विवरणी अवधि समाप्ति के 42 दिन के अन्दर अर्थात् 12 मई/11 नवम्बर तक भेजी जानी चाहिए ।

4. आपके स्थापना/कारखाने की कूट संख्या 11-38594-101 ही अनुमोदित की जा चुकी है, जिसका प्रयोग इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी फार्मो एवं सभी पत्रों में करें । यह कूट संख्या कार्यालयों को भेजे जाने वाले सभी फार्मो एवं विवरणियों में अंकित की जाए। कारखाने की कूट संख्या अंकित करते समय यह शब्द H-1691 साथ में जोड़ा जाए ।

5. शाखा कार्यालय, क०रा०बी० निगम Gurgaon पते पर स्थित निगम के शाखा कार्यालय को कर्मचारियों से संबंधित पंजीकरण के मामले में सहायता करने के निर्देश दिए जाते हैं । यदि आपको योजना से संबंधित किसी कठिनाई का आभास होअथवा योजना के बारे में कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस कार्यालय से प्राप्त करें या घोषणा पत्र संबंधी फार्म आदि आप उपरोक्त शाखा कार्यालय से प्राप्त करें । फिर भी चिकित्सा हितलाभ के लिए बीमाकृत व्यक्ति अपने स्तर पर किसी समीपस्थ औषधालय को पुनः चुन सकता है ।

6. आपके लिए दुर्घटना रजिस्टर कर्मचारी एवं निरीक्षण रजिस्टर का रख-रखाव अनिवार्य है जिसकी आपके कारखाने के रिकॉर्ड के निरीक्षण के समय बीमा निरीक्षक द्वारा जाँच की जाएगी ।

7. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ,1948 के प्रावधानों के अनुपालन में आप अपनी जिम्मेवारी को निभाने हेतु निगम के कर्मचारी राज्य बीमा उपबंधों का अनुपालन करेंगे तथा मुझे विश्वास है कि आप अपनी ओर से तत्परता से तथा सामयिक अनुपालन करेंगे ।

भवदीय,

कृते क्षेत्रीय निदेशक

1 **M/s Pawan Security Services**
N-175,Vishnu Garden
New Delhi

2.. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम New Delhi
3. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम Gurgaon
4.. Gurgaon निरीक्षण कार्यालय ।
5. निरीक्षण सीट क्षेत्रीय कार्यालय, क०रा०बी० निगम FARIDABAD
6. लेजर अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, क०रा०बी० निगम FARIDABAD
7. कंप्यूटर कक्ष, क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद ।

कृते क्षेत्रीय निदेशक